भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1660

02 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: सभी फसलों के लिए एमएसपी का विस्तार

1660. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मार्केट डिस्टॉर्टिंग न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कार्यक्रम का विस्तार सभी फसलों के लिए किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रभावी क्रय अवसंरचना एवं बाजार सुधार की अनुपस्थिति में, इससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि अधिकतर कृषि जिन्सों की उनके न्यूनतम निर्धारित मूल्य या एमएसपी से 10 से 30 प्रतिशत कम मूल्य पर विक्रय की जा रही है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या तथ्य हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन करवाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) उपर्युक्त अध्ययन के निष्कर्षों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा बुंदेलखंड के लिए क्या कोई विशेष सुझाव हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क): सरकार संबंधित राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के मंतव्यों तथा अन्य संबंधित कारकों पर विचार करने के बाद कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी)तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त,

रेपसीड/सरसों तथा कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के आधार पर क्रमश: तोरिया एवं छिलका रहित नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित किये जाते हैं। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी फसलें देश में कुल कृषि उत्पादन (बागवानी फसलों को छोड़कर) का लगभग 99 प्रतिशत कवर करती हैं।

(ख) और (ग): वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों के माध्यम से उन फसलों की खरीद की जाती है जिनके लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। जहां तक अनाजों/पोषक अनाजों का संबंध है, मुख्यत: जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अधीन वितरण, कल्याणकारी योजनाओं और खाद्य सुरक्षा हेतु बफर भण्डार बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से और विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली द्वारा उनकी खरीद की जाती है। सरकार दलहन और तिलहन की खरीद के लिए समग्र योजना 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)' के अधीन मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) का कार्यान्वयन भी करती है। भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद की जाती है।

बाजार अवसरंचना को मजबूत करने के लिए सरकार ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम), मॉडल कृषि उत्पाद एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2017 को लागू करने तथा कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने सहित विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही हैं। सरकार एक बाजार संरचना पर काम कर रही है ताकि किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो सके। इसमें खेत के पास ही 22,000 खुदरा बाजारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम) की स्थापना करना; ई-एनएएम के माध्यम से एपीएमसी में प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी थोक व्यापार तथा एक ठोस एवं कृषक हितैषी निर्यात नीति शामिल हैं।

(घ): कृषि उत्पाद के मूल्य दैनिक आधार पर बाजार में मांग और आपूर्ति स्थितियों द्वारा निर्धारित होते हैं। कटाई के बाद नई फसल के बाजार में बड़ी मात्रा में आने से कृषि उत्पाद के मूल्य कम हो जाते हैं। मुख्य कृषि जिन्सों के थोक मूल्य नीचे दिए गये हैं:

(रूपए प्रति क्विंटल)

फसल/जिन्स	एमएसपी (2018-19)	थोक मूल्य	
		अप्रैल-19	मई-19
धान	1750	1780	1793
बाजरा	1950	2171	2207
जौ	1440	1745	1795
चना	4620	4679	4796
ज्वार	2430	2637	2625
मक्का	1700	1943	1973
रागी	2897	2715	2690

फसल/जिन्स	एमएसपी (2018-19)	थोक मूल्य	
		अप्रैल-19	मई-19
गेहूं	1840	2108	2120
साबुत अरहर	5675	5108	5557
साबुत मसूर	4475	4768	4902
साबुत मूंग	6975	5952	6211
साबुत उड़द	5600	5230	5441
मूंगफली	4890	5035	5132
कोपरा	7511	11148	10583
कुसुम्भ/कार्डी बीज	4945	3757	4047
सरसों बीज	4200	3978	4073
रामतिल	5877	4732	4700
तिल बीज	6249	9883	9782
सोयाबीन	3399	3675	3742
सूरजमुखी बीज	5388	3705	3567
कपास	5150	5785	5839

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(ङ) और (च): सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

*****